संख्या- 385/2025/86के-2/22-3-2025-17(203)/25

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्रा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 05 अगस्त, 2025

विषयः- जिला कारागार, संत कबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी वृजेन्द्र राय उर्फ मिन्टू राय पुत्र श्री सुभाष राय, निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1910/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.01.2025), दिनांक 15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, संत कबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी वृजेन्द्र राय उर्फ मिन्टू राय (बंदी संख्या-63/2023) पुत्र श्री सुभाष राय, जो जोकहरा, थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ़ का रहने वाला है। दुकान में घुसकर सामान निकाल ले जाने का विरोध किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 17-04-2010 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर माकून व छाया नामक 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-51/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34, 504, 506 तथा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, न्यायालय सं0-2, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 30-08-2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27-04-2024 तक बन्दी की आयु लगभग 47 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने एवं किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध कारित कर सकने, आस-पास भय का माहौल व्याप्त होने, रिहा करना मतलब पुनः अपराध कारित करने का अवसर मिलना, जो शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत समीचीन प्रतीत नहीं होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वृजेन्द्र राय उर्फ मिन्टू राय पुत्र श्री सुभाष राय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, संत कबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी वृजेन्द्र राय उर्फ मिन्टू राय (बंदी संख्या-63/2023) पुत्र श्री सुभाष राय, निवासी जनपद-आजमगढ़ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्रा
उप सचिव।

<u>संख्या-86(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, संत कबीर नगर।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-385/2025/86के-2/22-3-2025-17(203)/25

दिनांक 05 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, संत कबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी वृजेन्द्र राय उर्फ मिन्टू राय (बंदी संख्या-63/2023) पुत्र श्री सुभाष राय, जो जोकहरा, थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ़ का रहने वाला है। दुकान में घुसकर सामान निकाल ले जाने का विरोध किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 17-04-2010 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर माकून व छाया नामक 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-51/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34, 504, 506 तथा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, न्यायालय सं0-2, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 30-08-2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27-04-2024 तक बन्दी की आयु लगभग 47 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने एवं किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध कारित कर सकने, आस-पास भय का माहौल व्याप्त होने, रिहा करना मतलब पुनः अपराध कारित करने का अवसर मिलना, जो शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत समीचीन प्रतीत नहीं होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वृजेन्द्र राय उर्फ मिन्टू राय पुत्र श्री सुभाष राय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्रा
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in